

प्रेस नोट थाना राजघाट दिनांक 21.11.2021

नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में व पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 21 नवंबर 2021 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप मिश्रा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 294 / 21 धारा 363/366/376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद अली पुत्र सुराब अली निवासी गोरई माई थाना बोगी नदी जिला लखीमपुर आसाम भारत हाल मुकाम मुक्ति धाम घाट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर को अमरूद मंडी के पास से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है ।

अभियुक्त का नाम व पता-

मोहम्मद अली पुत्र सुराब अली निवासी गोरई माई थाना बोगी नदी जिला लखीमपुर आसाम भारत हाल मुकाम मुक्ति धाम घाट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 294 / 21 धारा 363 366 376 आईपीसी व 3/4 पॉक्सो एक्ट ।

गिरफ्तारी का स्थान व दिनांक:-

अमरूद मंडी के पास, दिनांक 21-11-2021

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक रणधीर मिश्रा
2. उ0नि0 अनूप मिश्रा
3. कां0 मंगलदीप यादव